क्रम-संख्या-319

रजिस्ट्रेशन नम्बर–जी०–11/लाई०–
न्यूज पेपर/91/05–06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 19 नवम्बर, 2007
कार्तिक 28, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 2362/79-वि-1–07-1(क)48-2007
लखनऊ, 19 नवम्बर, 2007

अधिसूचना

विविध

संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2007)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 25 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 12 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 12 में, उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :—

"(7) (क) केवल ऐसा व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो;

(ख) कुलपति अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा;

(ग) कुलपति, जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, को इस रूप में द्वितीय कार्यकाल के लिये नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु कुलाधिपति को संबोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग-पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।"

निरसन और अपवाद

3—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 30 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 12 में किसी विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों का प्रावधान है किन्तु उक्त अधिनियम या परिनियमावली में किसी कुलपति की नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु और उसकी अधिवर्षता आयु के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अतः यह विनिश्चय किया गया कि किसी कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु और उसकी अधिवर्षता आयु का प्रावधान करने हेतु उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्रवाई करनी आवश्यक हो गयी थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 25 अगस्त, 2007 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 30 सन् 2007) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,

सै0 मजहर अब्बास आब्दी

प्रमुख सचिव।

No. 2362/LXXIX-V-1-07-1(Ka) 48/2007
Dated Lucknow, Novmber 19, 2007

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 26 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on November 16, 2007.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (SECOND AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 26 OF 2007)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-eighth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Act, 2007.

(2) It shall be deemed to have come into force on August 25, 2007.

Amendment of section 12 of President's Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by the U.P. Act no. 29 of 1974.

2. In section 12 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 *for* sub-section (7) the following sub-section shall be *substituted* namely :—

"(7) *(a)* Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice-Chancellor who has not attained the age of 65 years;

(b) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years from the date he enters upon his office or till he attains the age of sixty-eight years whichever is earlier;

(c) The Vice-Chancellor who has not attained the age of sixty-five years may be appointed as such for second term :

Provided that the Vice-Chancellor may, by writing under his hand addressed to the Chancellor, resign his office, and shall cease to hold his office on the acceptance by the Chancellor of such resignation."

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 30 of 2007

3. (1) The Uttar Pradesh State University (Second Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 12 of the Uttar Pradesh State Universities Act,1973 provides for the procedure for t appointment and conditions of service of the Vice-Chancellor of a University but there was no provisio of maximum age for the appointment of a Vice-Chancellor and superannuation age thereof either in tl said Act or in the statutes. It was therefore decided to amend the said Act to provide for maximum age fi the appoint to the office of a Vice-Chancellor and the superannuation age thereof.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary t implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) Ordinanc 2007 (U.P. Ordinance no. 30 of 2007) was promulgated by the Governor on August 25, 2007.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
S. M. A. ABIDI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए० पी०–700 राजपत्र (हि०)–(1711)–2007–597 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०–ए० पी०–357 सा० विधा०–(1712)–2007–850 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।